इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023—अग्रहायण 3, शक 1945

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,
(2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2023

क्र. A-6844.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय सोलह में, नियम 354 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''354-क. मध्यप्रदेश मोटनयान नियम, 1994 के अधीन लोक अदालत में समझौता के माध्यम से निराकृत किए गए मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरणों के अभिलेख अंतिम पंचाट (अवार्ड) की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए संरक्षित किए जाएं तथा अन्य मामलों में, अंतिम पंचाट / आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिए संरक्षित किए जाएं, बशर्ते कि सम्पूर्ण अभिलेख को स्कैन कर लिया गया हो.''.

मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 22nd November, 2023

No. A-6844.—In exercise of powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Chapter XVI, after Rule 354, the following rule shall be inserted, namely :—

"354-A. Records of motor vehicle accident claim cases disposed of by way of settlement in Lok Adalat under the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994, be preserved for a period of one year from the date of final award and in other cases, be preserved for a period of four years from the date of final award / order subject to the entire record being scanned.".

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 29th November 2023

"CORRIGENDUM"

No. D-4964.– In the notification No. A-6844 Jabalpur, dated 22nd November, 2023, which was published in the Part 4 (ग) of M.P. Rajpatra, No. 47, Bhopal, dated 24th November, 2023 relating to amendment in the Madhya Pradesh Civil Court Rules, 1961".

1. अध्याय 16, नियम 354–क में, शुरूआत में शब्द "मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के अधीन" को विलोपित किया जाए एवं शब्द "निराकृत किए गए" एवं शब्द "मोटरयान दुर्घटना" के बीच में शब्द "मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के अधीन के" अन्तःस्थापित किया जाए.

2. "In Chapter XVI, in Rule 354-A, between the words "claim cases" and "disposed of" the words "Under Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994" shall be inserted and between the words "lok Adalat" and "be preserved", the words and comma "under the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994," Shall be deleted."

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.